Additional Central Assistance for Indira Gandhi Canal Project

3065. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that State Plan Outlay of Rajasthan for the Indira Gandhi Nahar (Canal) Project during the Eighth Plan (1992—97) has been increased by State Government from Rs. 330.07 crores to Rs. 430.07 crores;

(b) if so, whether the State Government have demanded/requested for [he additional Central Assistance during the Eighth Five Year Plan period to complete the I.G.N. Project by 2004 A.D.; and

(e) by when the Central Government would make the funds available in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO); (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. As per latest projections the project is now planned to be completed by 2007 A.D.

(c) During 1992-93 an additional Central Assistance of Rs. 10 crore has been given to the State for Indira Gandhi Nahar Project (IGNP). Besides, the project has also been supported to the tune of Rs. 52 crore through Special Central Assistance released under Border Area Development Programme (BADP). Subject to availability of resources and allotment of funds out of State Plan for this project, financial assistance for IGNP for remaining period of Eighth Plan will continue.

3066. (Transferred to 30th March. 1993)

स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा बिहार के विकास के लिए घोषित पैकेज

3067. श्रीमती कमला सिन्हा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने बिहार के विकास के लिए जून, 1989 में 5857 करोड़ रुपए के एक पैकेज की घोषणा की थी ; और

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर "हां" हो तो, राजीव पैकेज में शामिल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अभी तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बिहार में प्रारंभ की जा सकने वाली कई विकास परियोजनाओं के बारे में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने जून, 1989 में सूचित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रेलवे, राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क, बाढ़ नियंत्रण, पेट्रो-केमिकल उद्योग, रुग्ण उद्योगों के पुर्नस्थापन आदि की परियोजनायें शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा की गई कोई भी निवेश लागत बताई नहीं गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मुजफ्फर पुर से सरकटियागंज तक बड़ी लाइन

इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य किया जा रहा है।

देहरी आन सोन बन्जारी पिपराधि यदनाथ पुर भावनाथपुर से बड़ी लाइन

इस परियोजना को रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के लिए योजना आयोग को नहीं भेजा गया है।

एच०बी०जे० पाइपलाइन

एच०बी०जे० पाइप लाइन का स्पर लाइन के माध्यम से बिहार तक विस्तार करने की मांग थी। प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद यह पाया गया है कि लाइन पर विभिन्न प्रयोक्ताओं तक गैस हीनित है। उन्नयन किए जाते के बाद भी स्पर लाइन के माध्यम से बिहार तक अतिरिक्त गैस भेज पाना व्यवसर्य नहीं है।

नबीनगर में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन (500मे0वा0! 2) की स्थापना

नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकृति दी जाती है। मंजूरी और चालू परियोजनायें के अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र में बिहार की विद्युत विकास की आठवीं और नौवीं योजना में और अधिक क्षमता बढ़ाना आवश्यक नहीं पाया गया। आठवीं और नौवीं योजना अवधियों के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित नबीनगर थर्मल पावर स्टेशन को पूर्वी क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है

दरभंगा और फोरबेसगंज के बीच मिसिंग लेटरल रोड़ लिंक का पूरा किया जाना

राष्ट्रीय राजमार्गों सहित केन्द्रीय क्षेत्रक सड़कों के लिए वाहियों के अत्यन्त सीमित होने को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में जोड़ना संभव नहीं है।

बरौनी रिफाइनरी का विस्तार

बरौनी रिफाइनरी की वर्तमान संस्थापित क्षमता 3.3 मि० टन वार्षिक है। बहरहाल, कच्चे तेल की उपलब्धता 1990–91 में 2.4 मि. टन और 1991–92 में 2.3 मि. टन है। रिफाइनरी की और अधिक क्षमता विस्तार के लिए प्रस्ताव पर कम कच्चे तेल की आपूर्ति के कारण रिफाइनरी को वर्तमान क्षमता के लिए भी आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी।

पैट्रो-कैमिकल/एरोमैटिक कम्प्लैक्स

तकनीकी-आर्थिक कारणों से प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

अशोक पेपर मिल्स

बिहार की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि डालमिया समूह ने अशोक पेपर मिल्स को लेने में रूचि दिखाई है।

पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न परियोजना

इस परियोजना के लिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को एक आशय पत्र जारी किया गया है।

मिनि स्टील काम्प्लेक्स

स्टील क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और कोई भी इच्छुक दक्ष, मिनि-स्टील संयंत्र में निवेश कर सकता है

रोहतास उद्योग

बिहार सरकार ने बी आई एफ आर की मंजूरी से रोहतास उद्योग को पुनर्स्थापन करने के लिए कदम उठाए हैं। रोहतास उद्योग के एसबेसटोल और वनस्पति इकाइयों को पहले ही पुनः चालू कर दिया गया है और इन्होंने उत्पादन आरंभ कर दिया है।

कैप्रोलेक्टम परियोजना

50,000 वार्षिक कैप्रोलेक्टम परियोजना के लिए एक आशय पत्र बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को जारी किया गया है। इसके श्रीराम उद्योग समूह के साथ एक संयुक्त उपक्रम के रूप में लिए जाने की संभावना है।

बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए टेक्नालाजी मिशन की स्थापना

टेक्नालाजी मिशन पर जल संसाधन मंत्रालय के दृष्टिकोण पत्र पर सचिवों की समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया जिसने उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रु० उपलब्ध कराने का योजना आयोग को सुझाव दिया जिसमें से 70 करोड़ रु० जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय में उपलब्ध कराना था और 30 करोड़ रु० राज्य क्षेत्र का निधियों में से। इसके अतिरिक्त सचिवों की समिति के निर्णय के अनुसार उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों पर विचार करने और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक स्टीयरिंग समिति गठित की गई थी। 20 लाख रु० की राशि मार्च, 1992 में जारी की गई थी। इस राशि का उपयोग प्रमाणपत्र राज्य सरकार से प्राप्त होना है। उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कोई स्कीम जी.एफ.सी.सी. के पास लंबित नहीं है।

Private Sector's participation in core Sector

3068. SHRI PRABHAKAR B. KORE; Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME: IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) has